न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 50 / 2025

1. श्रीमती रामा देवी पत्नी स्व0 श्री नानूराम सैनी
2. रामसहाय सैनी पुत्र स्व0 श्री नानूराम सैनी
3. मुकेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री नानूराम सैनी
4. राकेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री नानूराम सैनी
5. कानाराम सैनी पुत्र स्व0 श्री नानूराम सैनी
6. मनीष कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री नानूराम सैनी
   समस्त जातियान माली, निवासीयान दरवानाला की ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जयपुर, राज0।
7. अनिता सैनी पुत्री स्व0 श्री नानूराम सैनी, जाति माली, निवासी पाल नीचे की ढाणी, आमेर, जयपुर, राज0।

..........प्रार्थीगण

–बनाम–

1. फैलाराम सैनी पुत्र श्री गणेश, जाति माली, निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
2. राहुल भाटिया पुत्र श्री प्रेमप्रकाश भाटिया, जाति पंजाबी, निवासी 243, फ्रेटियर कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।
3. गेंदीलाल
4. राधामोहन
5. जितेन्द्र
6. सत्यनारायण पुत्रान स्व0 श्री मालीराम, जातियान माली, समस्त निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
7. गुलाब देवी पत्नि स्व0 छोटुराम, जाति माली, निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
8. जगदीश
9. बबलू पुत्रान श्री छोटूराम, जातियान माली, समस्त निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
10. सीता देवी पुत्री छोटूराम, जाति माली, निवासी भानपुरियॉ की ढाणी, कस्बा आमेर, जयपुर।
11. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि स्व0 श्री कालूराम, जाति माली, निवासी भानपुरियॉ की ढाणी, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

12. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री कालुराम
13. विकास पुत्र स्व0 श्री कालुराम, जातियान माली, समस्त निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
14. सन्तरा
15. पूजा
16. पूनम पुत्रीया स्व0 श्री कालु राम सैनी, जातियान माली, समस्त निवासी दरवान वाली ढाणी, जाजोलाई की तलाई, आमेर, जिला जयपुर, राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्तर्गत

भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :- 05.06.2025

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3335 रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म चाही-ए, खसरा नम्बर 3338 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही-ए, खसरा नम्बर 3339 रकबा 0.2800 हैक्टेयर चाही-ए, खसरा नम्बर 3340 रकबा 0.1900 हैक्टेयर किस्म चाही-ए, खसरा नम्बर 3376 रकबा 0.0700 हैक्टेयर किस्म चाही-ए, खसरा नम्बर 3377 रकबा 0.3300 हैक्टेयर किस्म चाही-ए व जाव-ए, खसरा नम्बर 3378 रकबा 0.4700 हैक्टेयर किस्म चाही ए व जाव-ए, खसरा नम्बर 3379 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही-ए, जाव-ए, खसरा नम्बर 3380 रकबा 0.7300 हैक्टेयर किस्म चाही ए व जाव-ए, खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म चाही ए व जाव-ए, खसरा नम्बर 3382 रकबा 0.0700 हैक्टेयर किस्म चाही-ए व जाव-ए, कुल किता खसरा 11 का कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम आमेर, पटवार क्षेत्र आमेर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सेनुसार है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 3380 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में कोने में खसरा नम्बर 3380/9232 स्थित है जो रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 3380 के सेगरीगेशन दौरान वर्तमान नक्शे में त्रुटि हो गयी है, जो त्रुटि वर्तमान नक्शे व गत नक्शे के मिलान से साबित है। गत नक्शे में खसरा नम्बर 3380/9232 खसरा

Bsw
उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

नम्बर 3380 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में कोने में स्थित है जबकि वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 3380/9232 को खसरा नम्बर 3380 के पूर्वी दिशा में राजस्व विभाग के कर्मचारीयो द्वारा गलत अंकन कर दिया है जो कानूनन गलत अंकन है, इसलिए प्रार्थीगणो द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे को दुरुस्त करवाना आवश्यक है। कानूनन पैमाईश के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के ना तो राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में रकबा कम किया जा सकता है, ना ही बढाया जा सकता है और ना ही राजस्व नक्शे में खसरे की मौका स्थिति बदली जा सकती है। भू-प्रबंधक विभाग के कर्मचारीयो ने सेगरीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 3380/9232 की वर्तमान नक्शे में मौका स्थिती ही बदलकर भारी कानूनी भूल कि है जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। भू-प्रबंधक कर्मचारीयो की त्रुटिवश हुए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की दुरुस्ती धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने का विधिक प्रावधान विधि में स्थापित है और धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को सूनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के स्कॉप के बाहर इस प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 सहखातेदार होने की वजह से उनको पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर है जो माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में दुरुस्ती करके माननीय न्यायालय को वास्तविक स्थिति से अवगत करा सके। इसलिए तहसीलदार आमेर को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगणो का एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवान नानू राम बनाम फैला राम व अन्य का विचाराधीन है, जिसकी कुर्रेजात रिपोर्ट पर स्वयं तहसीलदार महोदय आमेर द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 3380 के सेगरीगेशन के दौरान वर्तमान नक्शे में त्रुटि हो गयी है अतः गत नक्शे अनुसार (सेगरीगेशन से पूर्व नक्शा अनुसार) शुद्धी पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री किया जाना उचित होगा। उक्त कुर्रेजात द्वारा उक्त त्रुटि की प्रार्थीगणो को जानकारी हुई है और जानकारी की तिथि से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 3380 के सेगरीगेशन के पश्चात वर्तमान नक्शे में हुयी त्रुटि (खसरा नम्बर 3380/9232 को खसरा नम्बर 3380 के पूर्वी दिशा में अंकित कर

उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर

दिया है) को दुरुस्त करके सेगरीगेशन से पूर्व का गत नक्शा अमल में लाये जाने का अर्थात् खसरा नम्बर 3380/9232 को खसरा नम्बर 3380 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में कोने में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण की गयी। प्रार्थना पत्र की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहसीलदार आमेर के पत्रांक भू.अ. /1752 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार है:-ग्राम आमेर के खसरा नम्बर 3380/9788 रकबा 0.09 हैक्टे0, 3380/9232 रकबा 0.01 हैक्टे0 एवं 3380 रकबा 0.73 हैक्टे. का सेग्रीगेशन नक्शा बनाते समय सहवन से राजस्व नक्शे में गलत अंकन हो गया था। सेग्रीगेशन से पूर्व राजस्व नक्शा जो सही था एवं सेग्रीगेशन का राजस्व नक्शा जिसमें गलती हुई है। उनका नजरी नक्शा संलग्न है। अतः उपरोक्त नक्शें में सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शें के अनुसार शुद्धि किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर ग्राम आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 3380/9788 रकबा 0.09 हैक्टे0, 3380/9232 रकबा 0.01 हैक्टे0 एवं 3380 रकबा 0.73 हैक्टे0 का वर्तमान ऑनलाईन नक्शा सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शें के अनुसार शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें।

आज दिनांक 05.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

BSW

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर